10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल न्यायालय कैम्प भोपाल

R-2140-PBR/14

1- राजेश कुमार वाजपेयी आ0 कृष्ण कुमार वाजपेयी उम्र 60साल

2- राजकुमार वाजपेयी आ0 श्री कृष्ण कुमार वाजपेयी उम्र 62साल

दोनों निवासी ग्राम केसला तहसील इटारसी जिला

होशंगाबाद म0प्र0 पुनरीक्षणकर्ता/अपीलार्थीगण

बनाम

1- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(सड़क एवं

परिवहन मंत्रालय) द्वारा:- परियोजना निर्देशक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना

क्रियान्वयन इकाई भोपाल

2- सक्षम प्राधिकारी एवंअनुविभागीय अधिकारी

इटारसी तहसील इटारसीजिला होशंगाबाद----- उत्तरवादीगण

श्री एस. ए. फारुकी अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 9.7.14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
9.7.14

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता
==================================

यह कि अपीलार्थीगण उत्तरवादी क्रमांक-2 के रिव्यू क्रमांक 23-अ-82/वर्ष 12-13 ग्राम केसला में पारित आदेश दिनांक 28/5/2014 में पारित आदेश से जिसमें अपने पूर्ववर्ती आदेश पारित अवार्ड दिनांक 31/8/2013 प्रकरणक्रमांक 23-अ-382/वर्ष 12-13 को उलट दिया है निरस्त कर दिया है से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत कर ते है:-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2140–पीबीआर / 2014 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
11–7–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी के आदेश दिनांक 28–5–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण अ–82 मद में दर्ज कर कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है । अ–82 मद में भूमि अर्जन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया जाता है । भूमि अर्जन अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः प्रथम दृष्टया इस निगरानी के सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	